

परिशिष्ट (देखिये नियम 6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग - 1

(प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

1- परियोजना विवरण :-

(1) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण — प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोहनखाल, ताली कन्सारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

(2) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों — मानचित्र संलग्न है,

(3) परियोजना की लागत

(4) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य

— उक्त मोटर मार्ग निर्माण से दूरस्थ एवं पर्वतीय

ग्राम ब्राह्मणखाल, ताली कन्सारी आदि ग्राम

निवासियों को आवागमन में सुविधा एवं रोजगार

के अवसर प्राप्त होंगे, प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त

अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, विस्तृत विवरण

संलग्न है,

(5) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

(6) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है

— स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे,

2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य विवरण

— 0.17 हे.सी.वेल/1.75 हे. आरक्षित वन भूमि उक्त मार्ग निर्माण हेतु लो. नि. वि. के हस्तान्तरित करना,

3- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है -

(1) परिवारों की संख्या

— लागू नहीं है,

(2) अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों की संख्या

(3) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

4- क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है - (हां/नहीं)

— नहीं (मार्ग कच्चा है)

5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-2 राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय)

— संलग्न है,

6- निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा -

— विपत्र सूची के अनुसार,

तिथि -

स्थान - पोखरी

अधिश (नरेंद्र सिंह)
निर्माण विभाग
अधिशाली अभियन्ता
नि.ख. लो.नि.वि.
पोखरी

प्रस्ताव की कम संख्या :-

(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तय परिचय

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय) — संलग्न है.

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें। — संलग्न है.

12- विभाग/जिलाप्रोफाइल :-

- (1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र - — 751955 वर्ग मी०
- (2) जिले का वन क्षेत्र - — 67160 है०
- (3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र - 268457 है० प्रकरण.
- (4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण — निम्नानुसार
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि — 444.474 है०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर — रिक
- (5) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति — निम्नानुसार
- (क) वन भूमि पर — 444.474 है०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर — रिक

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश

— वनभूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

तिथि -

स्थान - गोपेश्वर

हस्ताक्षर

(नाम

सरकारी मोहर

(प्राप्त करने की तारीख नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या -

7- परियोजना/स्कीम का स्थान - मैठाणा

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

उत्तराखण्ड

(2) जिला

चमोली

(3) वन प्रभाग

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०)

(5) वन की कानूनी स्थिति

(6) हरियाली घनत्व

(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. - 2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल. - 4 मी० भी संलग्न किये जाय

(8) (1) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

(2) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे० में)

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्ववीय/पौरम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

8- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन, ऐजेन्सी, समय, अनुसूची, लागत, ढांचा आदि

भाग - 3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17- टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव के स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें)

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक अथवा एप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF

Page No - 9

(for the forest land to be charged under PCA)

भाग - 5

(इसे वन विभाग प्रमारी, सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाता है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग 'ख' या भाग 'घ' में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

तिथि -

हस्ताक्षर

स्थान -

(नाम)

सरकारी मोहर